मध्यान्ह भोजन योजना – जिला छिन्दवाड़ा

प्राथमिक शालाओं में

(नवम्बर, 2010 की स्थिति में)

मध्यान्ह भोजन योजना छिन्दवाड़ा जिले के समस्त विकासखण्डों की प्राथमिक शालाएँ – शासकीय एवं शासकीय अनुदान प्राप्त शालायें / मदरसें, ब्रिजकोर्स तथा शिक्षा गारंटी शालाओं में संचालित की जा रही है । शासन के निर्देशानुसार 15 अगस्त 2006 से उक्त शालाओं के विद्यार्थियों को प्रतिदिन रोटी–सब्जी–दाल के रूप में गर्म एवं पका हुआ भोजन समस्त शैक्षणिक दिवसों में दिया जा रहा है । मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का उद्देश्य शालाओं में पढने वाले विद्यार्थियों को पोषण आहार उपलब्ध कराना तथा छात्रों की दर्जसंख्या में वृध्दि और उपस्थिति में निरन्तरता सुनिश्चित करना है ।

छिन्दवाडा जिले में योजनान्तर्गत सम्मिलित शालायें (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र) :–

- शासकीय शालायें – 2677
- अनुदान प्राप्त शालायें – 54
- कुल शालायें – 2731

दर्ज विद्यार्थियों की संख्या :–

- गैर आदिवासी विकासखण्ड शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र – 125487
- आदिवासी विकासखण्ड शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र – 77824
- कुल छात्रों की संख्या – 203311
- प्रतिमाह लगने वाले खाद्यान्न की मात्रा क्विंटल में – 3799.33

भोजन पकाने पर होने वाला व्यय (प्रतिछात्र) :–

रोटी–सब्जी–दाल हेतु – 2.69 रूपये (दो रूपये उन्हत्तर पैसे) प्रति छात्र/प्रतिदिन एवं 100 ग्राम गेहूं प्रतिछात्र/प्रतिदिन ।

राशि की व्यवस्था :–

1. गैर आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र हेतु –पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
2. गैर आदिवासी शहरी क्षेत्र हेतु –नगरीय प्रशासन विकास विभाग
3. आदिवासी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र हेतु –आदिवासी विकास विभाग

योजनान्तर्गत भारत शासन व्दारा निःशुल्क खाद्यान्न प्रदाय किया जाता है तथा योजनान्तर्गत भोजन पकाने पर व्यय होने वाली राशि 2.02 रूपये (दो रूपये दो पैसे) प्रति छात्र के मान से उपलब्ध कराई जाती है । शेष राशि राज्य शासन के उपरोक्त विभागों व्दारा वहन की जाती है ।

मध्यान्ह भोजन योजना – जिला छिन्दवाड़ा
माध्यमिक शालाओं में

शासन से प्राप्त निर्देशानुसार अगस्त 2008 से छिन्दवाड़ा जिले के समस्त विकासखंडों की माध्यमिक शालाओं के छात्रों को गर्म एवं पका हुआ भोजन रोटी–दाल–सब्जी के रूप में प्रतिदिन समस्त शैक्षणिक दिवसों में दिया जा रहा है ।

छिन्दवाडा जिले में योजनान्तर्गत सम्मिलित शालायें(शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र) :–

(माह नवम्बर, 2010 की स्थिति में)

कमांक	क्षेत्र	शालाओं की संख्या	दर्ज संख्या	प्रतिमाह खाद्यान्न मात्रा क्विं0 में
1	सामुदायिक विकासखंडों में	542	79840	2247.73
2	आदिवासी विकासखंडों में	337	36799	1021.74
	योग	879	116639	3269.47

भोजन पकाने पर होने वाला व्यय (प्रतिछात्र) :–

रोटी–सब्जी–दाल हेतु – 4.03 रूपये (चार रूपये तीन पैसे) प्रति छात्र/प्रतिदिन एवं 150 ग्राम गेहूं प्रतिछात्र/प्रतिदिन ।

राशि की व्यवस्था :–

1. गैर आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र हेतु –पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
2. गैर आदिवासी शहरी क्षेत्र हेतु –नगरीय प्रकाशन विकास विभाग
3. आदिवासी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र हेतु –आदिवासी विकास विभाग

योजनान्तर्गत भारत शासन व्दारा निःशुल्क खाद्यान्न प्रदाय किया जाता है तथा योजनान्तर्गत भोजन पकाने पर व्यय होने वाली राशि 3.02 रूपये (तीन रूपये दो पैसे) प्रति छात्र के मान से उपलब्ध कराई जाती है । शेष राशि राज्य शासन के उपरोक्त विभागों व्दारा वहन की जाती है ।

❖❖❖

मध्यान्ह भोजन योजना

– अन्य बिन्दु –

योजना का कियान्वयन :–

जिले की प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में योजना कियान्वयन का दायित्व स्वसहायता समूहों को सौंपा गया है । साफ–सफाई हेतु स्वसहायता समूहों को सामग्री की किट उपलब्ध कराई गई है ।

बर्तनों की व्यवस्था –

जिले की समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में बर्तनों के कय हेतु पालक शिक्षक संघों को राशि प्रदाय की जाकर, बर्तनों की व्यवस्था की गई है ।

किचन शेड की व्यवस्था –

जिले की 2537 ग्रामीण क्षेत्र एवं 67 शहरी क्षेत्र की प्राथमिक शालाओं में तथा 486 माध्यमिक शालाओं में किचन शेड स्वीकृत किये जाकर राशि संबंधित ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों को उपलब्ध करा दी गई है ।

खाद्यान्न भण्डारण हेतु व्यवस्था –

जिले की 2159 प्राथमिक शालाओं में तथा 400 माध्यमिक शालाओं में खाद्यान्न भण्डारण के लिये कोठियों के कय हेतु राशि पालक शिक्षक संघों को राशि उपलब्ध कराई जाकर कोठियों का कय किया गया है ।

प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं हेतु निर्धारित मेनू अनुसार भोजन के अवयवों व अन्य आदानों का विवरण – गेहू प्रचलन क्षेत्र– रोटी–दाल–सब्जी (प्रति विद्यार्थी प्रति शैक्षणिक दिवस)

- प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में कार्यरत रसोईयों को माह–जुलाई 2010 से प्रतिमाह 1000/– रुपये पारिश्रमिक दिया जा रहा है ।

- योजना से सम्बद्ध स्व–सहायता समूह के अध्यक्ष/सचिव के घरों में शौचालय का निर्माण किया जाना अनिवार्य किया गया है ।

प्राथमिक शाला –

कमांक	अवयव
1	100 ग्राम गेहूं के समतुल्य आटे की रोटियां
2	20 ग्राम दाल
3	50 ग्राम सब्जी
4	दाल व सब्जी छोक के लिये 5 ग्राम तेल व आवश्यकतानुसार नमक, मिर्च, मसाले
5	ईधन आवश्यकतानुसार

माध्यमिक शाला –

कमांक	अवयव
1	150 ग्राम गेहूं के समतुल्य आटे की रोटियां
2	30 ग्राम दाल
3	75 ग्राम सब्जी
4	दाल व सब्जी छोक के लिये 7.5 ग्राम तेल व आवश्यकतानुसार नमक, मिर्च, मसाले
5	ईधन आवश्यकतानुसार

- **मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित मीनू अनुसार प्रदत्त किये जाने वाले भोजन में विविधता के लिये साप्ताहिक विकल्प**

सप्ताह का दिन	मीनू का विकल्प
सोमवार	रोटी के साथ तुअर/अरहर की दाल और काबूली चने व टमाटर की सब्जी अथवा हरे मटर व टमाटर की सब्जी
मंगलवार	पूरी/पुलाव के साथ खीर व आलू–टमाटर की सब्जी
बुधवार	रोटी के साथ चने की दाल और राजमे व टमाटर की सब्जी
गुरूवार	रोटी के साथ तुअर/अरहर की दाल और हरी सब्जी
शुकवार	रोटी के साथ मूंग की दाल और हरी सब्जी
शनिवार	रोटी के साथ तुअर/अरहर की दाल और राजमे व टमाटर की सब्जी

उपरोक्तानुसार प्रदाय किये जाने वाले भोजन के साथ सलाद/पापड़/चटनी भी प्रदाय किया जाये ।

शिकायतों हेतु टोल फ्री नं. – 155343